

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रसंख्या-4डी(2)/2020

लखनऊ : दिनांक 19/03/2020

विषय:- कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य उपाय लागू करने हेतु उठाये जाने वाले कदमों के अन्तर्गत 2002 बैच तक के फार्मसी डिप्लोमाधारक की दिनांक 25.03.2020, 26.03.2020 एवं 26.03.2020 को होने वाली काउन्सिलिंग को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में प्रेस-विज्ञापित प्रकाशित करारों जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में अवगत करना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 20558 आफ 2009 उ0प्र0 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम संतोष कुगार मिश्रा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.08.2010 एवं अवमाननावाद संख्या-347/2010 हरित कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम प्रदीप कुमार शुक्ला व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.11.2012, 15.04.2013, 29.04.2013 तथा अवमाननावाद संख्या- 115/2015 इन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20558/2009 (विनय कुमार गिरि बनाम प्रवीण कुमार व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 23.09.2014 तथा रिट याचिका संख्या-1855/एस0एस0/2017 भूपेन्द्र सिंह व 06 अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में विज्ञापन दिनांक 12.11.2007 के सापेक्ष वर्ष 2002 बैच के फार्मसी डिप्लोमाधारक अभ्यर्थियों की निम्नानुसार काउन्सिलिंग किया जाना प्रस्तावित था:-

क्रमांक संख्या	काउन्सिलिंग का दिनांक
क्रमांक- 01 से 70 तक (2002 वर्ष)	25.03.2020
क्रमांक- 71 से 140 तक (2002 वर्ष)	26.03.2020
क्रमांक- 141 से 210 तक (2002 वर्ष)	27.03.2020

मुख्य सचिव, उ0प्र0 के परिपत्र संख्या-581/पांच-5-2020 दिनांक 17 मार्च, 2020 के अनुपालन में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य उपाय लागू करने हेतु उठाये जाने वाले कदम के अन्तर्गत महानिदेशालय के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14.03.2020 के द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में होने वाले वर्ष 2002 बैच तक के फार्मसी डिप्लोमाधारक अभ्यर्थियों की दिनांक 25.03.2020, 26.03.2020 एवं 27.03.2020 को होने वाले काउन्सिलिंग अग्रिम आदेशों तक स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त आशय की प्रेस विज्ञापित को प्रदेश के समस्त प्रमुख समाचार पत्र (एक हिन्दी एवं एक अंग्रेजी) में दिनांक 20.03.2020 अथवा दिनांक 21.03.2020 के संस्करण में प्रकाशित करवाने की कृपा करें।

संलग्नक.प्रेस विज्ञापित(हार्ड एवं साफ्ट कापी)

भव दी य.

(मधू सकसेना)


निदेशक(पैरामेडिकल)

पत्रसंख्या-4डी(2)/2020/550CS)

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा10 उच्च न्यायलय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
- 2- निदेशक, नियोजन एवं बजट, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संलग्न प्रेस विज्ञापित को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करवाने की कृपा करें।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।
- 3- अनु रायिव, चिकित्सा अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- प्रभारी, डी0आर0सी0सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।


अपर निदेशक(पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रसंख्या-4डी(2)/2020/549 लखनऊ : दिनांक 19/03/2020

// प्रेस विज्ञप्ति //

मुख्य सचिव, उ0प्र0 के परिपत्र संख्या-581/पांच-5-2020 दिनांक 17 मार्च, 2020 के अनुपालन में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य उपाय लागू करने हेतु उठाये जाने वाले कदम के अन्तर्गत महानिदेशालय के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14.03.2020 के द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में होने वाले वर्ष 2002 बैच तक के फार्मैसी डिप्लोमाधारक अभ्यर्थियों की दिनांक 25.03.2020, 26.03.2020 एवं 27.03.2020 को होने वाले काउन्सिलिंग अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है।



(मधू सक्सेना)
निदेशक(पैरामेडिकल)